न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 14/2023 (GCMS No. 2023/450)

रघुवीर सिंह बनाम ग्राम पंचायत बीबासर जरिये सरपंच

प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 05.10.2023 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बीबासर जिला झुन्झुनू के नामान्तरकरण संख्या 1019 ग्राम बीबासर पटवार हल्का बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनू

निर्णय

दिनांक 21.02.2025

संक्षेप मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. पेश कर कथन किया गया कि मौजुदा अपील में विवादित नामान्तरकरण में अंकित जमीन बाबत बना गलत विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2023 को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय जिला न्यायाधीश के यहां वाद पत्र विचाराधीन है तथा परमेश्वरी के हक में हुए विक्रय पत्र को सुनिल कुमार ने वरिष्ठ न्यायालय में चेलेन्ज कर रखा है एवं विक्रय पत्र दिनांकित 16.08.2023 के मुताबिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत माननीय न्यायालय में रघुवीर बनाम परमेश्वरी वादपत्र विचाराधीन है उपरोक्त सभी प्रकरणों में समान जमीन है तथा समान पक्षकार है इस कारण सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्रों पर निर्णय होना है। इसलिये मौजुदा अपील की अग्रीम कार्यवाही उपरोक्त वादपत्रों के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजुदा अपील की अग्रीम कार्यवाही दावा उनवानी परमेश्वरी बनाम रघुवीर सिंह मु0न0 38/2024 जिला न्यायाधीश झुन्झुनू के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखी जावे।

प्रार्थना पत्र के जवाब में अपीलान्ट ने कथन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2023 को गलत कहना अस्वीकार है वर्तमान अपील नामान्तरकरण के प्रार्थना पत्र खारिज करने के विरूद्व पेश की गई है धारा 10 जा0दी0 के तहत दो दावे समान क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय में लम्बित होने पर लागु होती है वर्तमान अपील दावे में आदेश के विरूद्व नहीं है प्रार्थना पत्र के विरूद्व अपील पर धारा 10 जा.दी. लागू नहीं होती है इस कारण मौजूदा अपील की अग्रीम कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र एवं अपील सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया (रेस्पोडेन्ट) ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी के संबंध में तस्दीकशुदा विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। मौजुदा अपील दिनांक 14.08.2023 को पंजीबद्व विक्रय पत्र का नामान्तरकरण खारीज होने पर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व पेश हुई है। चूंकि विक्रय पत्र निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही विक्रय पत्र के आधार पर ही होनी है। इसलिये जब तक सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र को निरस्त करने के संबंध में विचाराधीन वाद में निर्णय नहीं होता तब तक नामान्तरकरण अपील में आगे कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु विचाराधीन वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की अपील में आगे की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे। दौराने बहस अप्रार्थी (अपीलान्ट) की ओर से कथन किया गया कि धारा 10 जा.दी. का प्रावधान मौजुदा अपील पर लागु नहीं होता है। धारा 10 जा.दी. के प्रावधान

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

सम्पन्न क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय में लम्बित होने पर ही लागु होता है। इस कारण मौजुदा अपील की कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में दो अलग–अलग विक्रय पत्र पंजीबद्व हुये है एवं दोनो पंजीबद्व विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालयों में दो वाद विचाराधीन है। पंजीबद्व विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में निर्णय सक्षम न्यायालय के यहां से होना है। प्रश्नगत अपील जो नामान्तरकरण संख्या 1019 के विरूद्व पेश की गई है, उक्त नामान्तरकरण भी विवादित आराजी के संबंध में दिनांक 14.08.2023 को पंजीबद्व कराये गये विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था जिसे ग्राम पंचायत बीबासर द्वारा दिनांक 05.10.2023 को खारीज कर दिया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.08.2023 को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। चूंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही विक्रय पत्र के आधार पर होनी है तथा विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. स्वीकार किया जाकर मौजुदा अपील की कार्यवाही को विक्रय पत्र निरस्तीकरण के वाद में निर्णय तक स्थगित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में सक्षम न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही नामान्तरकरण अपील स्वीकार कर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जाना भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 10 आंशिक स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1019 के आदेश दिनांक 05.10.2023 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बीबासर खारीज की जाती है। अपीलान्ट विक्रय पत्र दिनांक 14.08.2023 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय के पश्चात निर्णय के परिपेक्ष्य में पुनः अपील दायर करने के लिये स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र एवं अपील फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/02/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
झुन्झुनूं